

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad, DIST. Bhind (M.P)

Case No	Complaint or report madeon
Name and address of the Complete	6th
3	18 18 X 2 X 3 X
वाधिक मीजिस्ट भेगर चिक्रा सिक	STORES WESTER TO BETTE WO
	parentage, caste and address of accused
कमर तिर्दे अ०	रमेश यन्द वार्र
कमर तिर्दे अ० निष्ठाम - चे	rest Ps hier
15 mil - 131	and (was)
	The state of the s
The offence, com	plainant of, and date of, its alleged commission
अतगत श्री को साध	को समय लगभग २,३० बजे, स्थान याना अव्या में वाहन क्रिका क्रिका उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत रिण उपहित कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय
यु देशीतामा विस्तव समझा जाते। अपील	उसके प्रकाश रकामी वसे खोटाया जाचे। सुपुरेगी को दशा में
क्या आपका	उक्त अपराध स्वीकार हैं या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	Judicial Magistrate First Class
The plea of	the accused and his examination (if any) (in the distribution (if any)
जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।	
1/2/4	
Conside E	Judicital Magastral Artst Class
The offered have all IC	Gottad distributed (M.P.)
value of the property in respect of wh	e under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the ich the offence has been committed.

/ / निर्णय / / (आज दिनांक 10 7-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा0द0वि0 की धारा
279,337 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व
दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते
हुये आरोपी को भा.द.वि. की धारा 279/337 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादिवि० की
धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की
सजा एवं रूपये 100/ (एक हफा कियम मान) के अर्थदण्ड से
दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को दिवस की अविध के
साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन है जिल्हा का MH 84 610 99 है को
उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुरुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील
की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class
Gohad diam Bhille (M.P.)